अनुबन्ध - ब

हिमाचल प्रदेश राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा दिनांक– 18.11.2011 को मैसर्ज सेली हाईड्रो इलेक्ट्रिक पावर कम्पनी लिमिटेड (मोजर बेयर प्रोजेक्ट्स प्राईवेट लिमिटेड) 400 मेगावाट को स्थापित करने हेतु आयोजित पर्यावरण जन सुनवाई की कार्यवाही का विवरणः–

हिमाचल प्रदेश राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा दिनांक– 18.11.2011 को प्रातः 11:00 बजे वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला मड़ग्रां, उप तहसील उदयपुर, जिला लाहौल–स्पिति(हिमाचल प्रदेश) में मैसर्ज सेली हाईड्रो इलेक्ट्रिक पावर कम्पनी लिमिटेड (मोजर बेयर प्रोजेक्ट्स प्राईवेट लिमिटेड) 400 मेगावाट को स्थापित करने हेतु आयोजित पर्यावरण जन सुनवाई के संदर्भ में भारत सरकार द्वारा अधिसूचना सं0 एस0सी01533 दिनांक 14.09.2006 के अन्तर्गत निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार जन सुनवाई का आयोजन श्री सचिन कंवल, हि0 प्र0 प्र0 से0, उप मण्डलाधिकारी (ना0) उदयपुर की अध्यक्षता में हुआ। इस जन सुनवाई में उपस्थित व्यक्तियों की सूचि अनुबंध–अ में संलग्न है। राज्य प्रदूषण बोर्ड के प्रतिनिधि द्वारा जन सुनवाई में उपस्थित गणमान्य एवं भाग लेने आई जनता का स्वागत किया तथा जन सुनवाई की पृष्ठ भूमि तथा इसके आयोजन के उद्देश्य से उपस्थित जन समुदाय को अवगत कराया गया एवं प्रदूषण की रोकथाम के लिए प्रचलित कानूनों के बारे में विस्तृत जानकारी दी। ततपश्चात् उपस्थित जनता को परियोजना प्रस्तावक एवं उनके तकनीकी परामर्शदाता के द्वारा परियोजना के प्रारूप और "विस्तृत पर्यावरण प्रभाव निर्धारण" के बारे में अवगत करवाया गया। अन्त में कम्पनी के प्रतिनिधि ने स्थानीय जनता से परियोजना को क्रियान्वित करने में स्थानीय जनता का सहयोग मांगा तथा कम्पनी द्वारा क्षेत्र के विकास में सहयोग दिए जाने को कहा तथा उपस्थित जन समुदाय के प्रति आभार व्यक्त किया।

इसके बाद अध्यक्ष महोदय की अनुमति से जन सुनवाई आरम्भ की गई तथा जन सुनवाई के दौरान लोगों द्वारा अपने विचार प्रकट करते समय अधिशाषी पर्यावरण अभियन्ता ने कहा कि पर्यावरण के बचाव के लिए उन्हें एक उचित मंच दिया जा रहा है तथा वे निर्भीक होकर अपने विचार, संदेह एवं सुझाव रख सकते हैं।

इस जन सुनवाई में उठाए गये मुद्दों की कार्यवाही का विवरण निम्न प्रकार से हैः–

क0	नाम व पता	उठाये गये मुद्दे	उठाये गये मुद्दों का उत्तर
01	**श्री महेन्द्र सिंह, ग्राम–मड़ग्रां, पो0 व उप तहसील उदयपुर, (लाहौल–स्पिति)**	इस परियोजना के जलाश्य के कारण पूरे मड़ग्रां का अस्तित्व समाप्त हो जायेगा। इस गांव में लगभग 3 लाख छोटे बड़े पेड़–पौधे एवं झाडियॉ हैं जिन्हें ईन्धन एवं चारे के रूप में उपयोग किया जाता है, इन सबका अन्धाधुन्ध कटान होगा। इस क्षेत्र के थिरोट में 1996 में बहुत बड़ा ग्लेशियर आया था जिससे त्रिलोकनाथ से तिन्दी तक दो पुल बह गये थे। यहां पर ग्लेशियर 1000 कि0 मी0 प्रति घंटा की गति से चलते हैं जिनका कोई भी अध्ययन नहीं करवाया गया है। जलाश्य बनने पर इस क्षेत्र में नमी बढ़ेगी, मौसम में परिवर्तन	इस परियोजना से प्रभावित होने वाले पेड़ों की गणना वन विभाग द्वारा करना शेष है। हिमाचल प्रदेश सरकार ने इस परियोजना क्षेत्र का विस्तृत अध्ययन करने के उपरांत ही इस परियोजना को जून 2008 में अंतर्राष्ट्रीय निविदा के लिए विज्ञापित किया था। इस परियोजना के निर्माण कार्य शुरू करने से पहले प्रभावित क्षेत्र के वातावरण के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन करवाना एवं

Sub. Divisional Magistrate
Udaipur, Distt. Lahaul-Spiti (H.P.)
19/11/11

		होगा जिससे आलू व मटर में बलाईट रोग व पीलापन होने की संभावनायें हैं एवं फसलों पर दुष्प्रभाव पड़ेगा व फसलें बर्बाद भी हो सकती है। लोगों के पास पहले ही जमीन कम है परियोजना में जमीन अधिग्रहित होने के कारण लोगों के पास बहुत कम जमीन रह जायेगी जिससे चरागाह खत्म हो जायेंगे व पशुपालन जैसे अन्य रोजगार समाप्त हो सकते है। अतः सरकार हमारे से अन्याय न करे। संसारी नाला –उदयपुर सड़क का निर्माण 1978 में सीमा सड़क संगठन द्वारा किया गया था जिसे नदी के दूसरी ओर मोड़े जाने के कारण मड़ग्रां को आने वाली सड़क समाप्त हो जोयेगी यह एक गम्भीर समस्या होगी। इस प्रकार गांव को चारों तरफ से नुकसान ही नुकसान होगा। अतः प्रोजेक्ट सेली में ना बने। परियोजना जो जमीन अधिग्रहण करेगी उसका मुआबजा किस तरह दिया जायेगा?	उनका एक सुनिश्चित रिकॉर्ड तैयार करना ही इस पर्यावरणीय प्रभाव आंकलन का मूल उद्देश्य है। इस परियोजना का संरेखण इस तरह किया गया है ताकि कम से कम से कम भूमि अधिग्रहित हो। जो चरागाह क्षेत्र डूब क्षेत्र में आ रहे हैं उनकी जगह स्थानीय जनता एवं स्थानीय प्रशासन की सहमति व सहयोग से नयी चरागाह विकसित की जायेंगी। यह सड़क जिसका कुछ भाग जलाश्य में डूबना प्रस्तावित है का पथांतरण कर पुनर्निर्माण सीमा सड़क संगठन के अधिकार क्षेत्र में आता है। अतः सीमा सड़क संगठन एवं स्थानीय प्रशासन व स्थानीय जनता के परामर्श, सहमती एवं सहयोग से इस सड़क को चाहे नदी के बायें किनारे पर बनायें अथवा दायें किनारे पर बनायें। इस परियोजना के निर्माण के लिए प्रस्तावित निजी भूमि का अधिग्रहण भू–अर्जन अधिनियम –1894 के अन्तर्गत किया जायेगा। जिसका मुआवजा राज्य सरकार द्वारा तय मापदंडों के आधार पर किया जायेगा।
2	**श्री ध्यान सिंह ठाकुर, ग्राम पंचायत तिन्दी, पूर्व उपाध्यक्ष जिला लाहौल स्पिति**	पर्यावरण जन सुनवाई का आयेजन बहुत जल्दी में किया गया है जिसकी शिकायत प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड पर्यावरण भवन शिमला को भेजी जा चुकी है। इसलिए हम कड़े शब्दों में इस परियोजना का विरोघ करते है। इसके अतिरिक्त रतोली, सलपट गांव समाप्त हो जायेंगे तथा बांध क्षेत्र में आने वाला हरा–भरा वन जल मग्न हो जायेगा। राज्य सरकार ने इमारती लकड़ी (T.D.) देने पर प्रतिबन्ध लगा रखा है	प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के प्रतिनिधि ने स्पष्ट किया कि जन सुनवाई के लिए अधिसूचना के अनुसार समुचित समय दिया गया व इस पर्यावरण जन सुनवाई का व्यापक प्रचार विभिन्न समाचार पत्रों में प्रकाशित करके तथा गांव–गांव में ढोल पीट कर किया गया है। जलाश्य का अधिक्तम जल

Sub. Divisional Magistrate
Udaipur, Distt. Lahaul-Spiti (H.P.)

		फिर भी केन्द्र व राज्य सरकारों ने जल विद्युत परियोजना को बनाने की अनुमति कैसे प्रदान कर दी? क्योंकि यह क्षेत्र समुद्र तल से बहुत ऊँचाई पर स्थित है इसलिए यहाँ पर सर्दियों में बुजुर्गों को सांस लेने में कठिनाई महसूस होती है। परियोजना का जलाश्य बनने के कारण यह समस्या और भी बढ़ सकती है। 1. परियोजना के बनने से कितने गांव विस्थापित होंगे? 2. इस परियोजना के लिए कितने पेड़ काटे जायेंगे?	स्तर 2606 मीटर तक निर्धारित किया गया है, इससे रतौली गांव के केवल 4 घर ही प्रभावित होते है। परन्तु, इन 4 घरों को विस्थापित करने के बजाये पूरे गांव यानी 14 घरों को, उनकी परंपरा एवं सुविधा को ध्यान में रखते हुए प्रशासन एवं स्थानीय जनता के सामुहिक सहयोग से उचित स्थान पर पुनर्स्थापित करने के लिए कम्पनी वचनबद्ध है। कम्पनी प्रबन्धन ने सपष्ट किया कि परियोजना का प्रारूप इस तरह तैयार किया गया है कि न्यूनतम विस्थापन हो और पुनर्स्थापन जनता एवं प्रशासन के सहयोग से किया जायेगा। जहां तक पेड़ों के कटने का प्रश्न है पेड़ों की गणना अभी वन विभाग द्वारा की जानी है।
3	**श्री शमशेर सिंह संगपा, प्रधान ग्राम पंचायत उदयपुर, जिला लाहौल स्पिति**	ग्राम पंचायत को जो पर्यावरण प्रभाव आंकलन रिपोर्ट दी गयी है उसमें भ्रामक बातें लिखी गयी हैं। जैसे कि पद्यांश 1.6 में लिखित Socio Economic Status: चार पंचायतों में शिक्षा का स्तर संतोष जनक नहीं है यहॉ पर कोई भी आई0 टी0 आई0 एवं कॉलेज नहीं है। थिरोट से उदयपुर व आगे की सड़क की स्थिति संतोष जनक बतायी गयी है– जोकि तथ्यों से विपरीत है क्योंकि यहॉ पर उदयपुर में एक आई0 टी0 आई व कुकमसेरी में एक कॉलेज भी है। इस प्रकार पूरे हिमाचल प्रदेश में लाहौल स्पिति का शिक्षा–स्तर सबसे ऊँचा है। यहॉ पर थिरोट से उदयपुर व आगे के सड़क की स्थिति अच्छी नहीं है। इस रिपोर्ट में मानवीय पहलुओं को छुआ तक नहीं गया है केवल पेड़–पौधों एवं मतस्य का ही वर्णन है। परियोजना की वेबसाईट में सेली प्रोजेक्ट् की क्षमता 320 मेगावाट दर्शाई	पर्यावरण प्रभाव आंकलन रिपोट के पद्यांश 1.6 में लिखित तथ्य केवल परियोजना प्रभावित क्षेत्र के लिए ही है, ये तथ्य पूरे लाहौल स्पिति क्षेत्र के लिए नहीं है। परियोजना प्रभावित क्षेत्र में कोई कॉलेज नहीं है। जैसे कि क्रम संख्या 2 के उत्तर में विस्थापन के बारे में वर्णित है यदि बांध की ऊँचाई कम की जाती है तो परियोजना Viable ही नहीं रहेंगी। परियोजना प्रबन्धन ने राष्ट्रीय पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन नीति 2007 की पूर्ण जानकारी देते हुए कहा की पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन सरकार, स्थानीय प्रशासन एवं स्थानीय जनता के द्वारा दिये गये सुझावों को ध्यान में रखते हुए ही किया

Sub. Divisional Magistrate
Udaipur, Distt.Lahaul-Spiti (H.P.)

		गयी है जोकि इस रिपोर्ट के अनुसार 400 मेगावाट है। इसी प्रकार ही पूर्ण जलाश्य स्तर 2600 की जगह 2606 दर्शाया गया है, इसके अतिरिक्त बांध शिखर की लम्बाई 187 मीटर की बजाये 189.5 दर्शाई गयी है। परिणाम स्वरूप जलाश्य की क्षमता बढ़ने से रतौली गांव का पूर्णरूपेण विस्थापन होगा। सलपट गांव का निचला क्षेत्र भी जलमग्न हो जायेगा। कोराकी गांव एवं मिनी मनाली भी जल में डूब जायेंगे। मिनी मनाली को सरकार द्वारा एक पर्यटन स्थल के रूप में प्रोत्साहित किया जा रहा है। 114 परिवार विस्थापित होंगे जिसमें 14 परिवारों को विस्थापन का दर्द झेलना पड़ेगा। परियोजना प्रबन्धन ने विस्थापित परिवारों के पनर्वास के लिए 376.29 लाख रूपये का प्रावधान रखा है। प्रोजेक्ट लगना चाहिए लेकिन स्थानीय जनता एवं संसाधनों को प्रभावित ना किया जाये। कम्पनी स्थानीय लोगों से बातचीत करके इसका संयुक्त रूप से निदान करे ताकी सभी को इस परियोजना से लाभ मिले। यदि स्थानीय जनता परियोजना स्थापित करना चाहती है तो मेरी भी सहमति है।	जायेगा।
4	**श्री धर्मपाल, गांव मड़ग्रां, ग्राम पंचायत उदयपुर, उप तहसील उदयपुर, जिला लाहौल स्पिति**	कितने गांव उजड़ रहे हैं व कितनी निजी भूमि परियोजना में जा रही है इसकी विस्तृत जानकारी बीघों में दी जाये। वन भूमि को छोड़कर मिनी मनाली का क्षेत्र भी डूब रहा है। लाखों पेड़–पौधे नष्ट हो जायेंगे जिन्हें इस स्थिति में लाने के लिए 40 वर्ष से भी अधिक समय लगेगा। परियोजना का जलाश्य बनने से हमारे चारागाह डूब जायेंगे इसलिए पशुओं को घार तलदर में ले जाना पड़ेगा जिसके लिए 5 फुट चौड़ा खच्चर मार्ग बनाया जाये। परियोजना प्रबन्धन एवं स्थानीय जनता को सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ना चाहिये। जो निजी भूमि जलमग्न होगी व जो सुविधायें समाप्त होंगी परियोजना प्रबन्धन को उसके बदले में 4 गुणा भूमि एवं 4 गुणा ही सारी सुविधायें देनी चाहिए। हर घर के सदस्य को रोजगार देना चाहिए	कम्पनी प्रबन्धन द्वारा अधिग्रहित की जाने वाली निजी भूमि का बीघों में निम्न लिखिति विवरण है: उदयपुर– 3–0–8, सलपट– 57–3–11, मड़ग्रां–129–4–7, भीं बाग 0–14–0, स्लग्रां – 24–2–0 कुरचैड़– 0–12–8 जैसा कि ऊपर वर्णित है, रतौली गांव के 4 घर विस्थापित होने पर भी, सभी 14 घरों को पुनर्स्थापित किया जायेगा। पेड़ों की गिनती वन विभाग द्वारा किया जाना अभी बाकी है। चरागाह का क्षेत्र जो जलाश्य में डूब जायेगा उसके बदले में स्थानीय प्रशासन एवं

Sub. Divisional Magistrate
Udaipur, Distt.Lahaul-Spiti (H.P.)

		जिसका दैनिक वेतन सरकार द्वारा तय दैनिक वेतन से दो गुणा हो। परियोजना के लाभ का `4 प्रतिशत स्थानीय लोगों को मिलना चाहिये तथा मुफ्त बिजली भी मिलनी चाहिये। परियोजना में स्थानीय लोगों की गाड़ियों को लगाया जाना चाहिये। इस परियोजना में दस हजार मजदूर कार्य करेंगे व पॉच हजार गाड़ियॉ चलेंगी। इसके अतिरिक्त हमने बाहर के लोगों से सुना है कि कम्पनियॉ गुण्डे पालती हैं और जोर जबरदस्ती करती हैं। इस कार्यवाही की प्रतिलिपियॉ कार्यालय जिलाधीश, उप मण्डलाधिकारी (ना0), उदयपुर, ग्राम पंचायत, यदि संभव हो तो युवक मण्डल व महिला मण्डल को भी उपलब्ध करायी जायें। क्योंकि कम्पनीयॉ बाद में अपने वायदे से मुकर न सके। यह कम्पनी राजनैतिक दबाव में आकर काम न करें अन्यथा कम्पनी को 40 वर्षों में आठ नेताओं से जूझना पड़ेगा।	पंचायत द्वारा सुझाई गई जगह में नयी चरागाह विकसित की जायेगी। तलदर क्षेत्र का परियोजना प्रबन्धन ने पहले ही सर्वेक्षण किया है जहॉ पर कठिन भैगोलिक स्थिति होने के कारण 5 फुट चौड़ा रास्ता बनाना संभव नहीं है। लेकिन फिर भी जितना संभव होगा, कम्पनी रास्ता बनाने का प्रयास करेगी। सरकार के साथ पूर्व कियान्वयन समझौते के अनुसार 70 प्रतिशत रोजगार हिमाचल निवासियों को दिया जायेगा। परियोजना प्रबन्धन ने स्पष्ट किया कि मुफ्त बिजली नहीं दी जा सकती क्योंकि हम हिमाचल सरकार को इस परियोजना से पहले 12 वर्षों में 26.41 प्रतिशत, अगले 18 वर्षों में 32.41 प्रतिशत व अंतिम 10 वर्षों के दौरान 44.41 प्रतिशत मुफ्त बिजली प्रति वर्ष दी जायेगी। परियोजना के विद्युत उत्पादन के दौरान एक प्रतिशत बिजली स्थानीय क्षेत्र विकास निधि के तहत स्थानीय प्रशासन के माध्यम से विकास के लिए उपलब्ध करवाया जायेगा। परियोजना के निर्माण के दौरान प्रभावित क्षेत्र के लोगों की गाड़ियों को लगाने के लिए प्राथमिकता दी जायेगी। कम्पनी किसी भी राजनैतिक दबाव में काम नहीं करती। कम्पनी किसी भी प्रकार के गुण्डे न पालती है और न ही संरक्षण देती है। कम्पनी अपना कार्य स्थानीय जनता के सहयोग से सौहार्दपूर्ण वातावरण में कार्य निष्पादन में विश्वास रखती है।

3/11/11
Sub. Divisional Magistrate
Udaipur, Distt. Lahaul-Spiti (H.P.)

5	**श्री राजेन्द्र कुमार ठाकुर, उप प्रधान ग्राम पंचायत, उदयपुर, उप तहसील उदयपुर, जिला लाहौल स्पिति**	चौदह परिवारों के पुनर्स्थापन के लिए 376.29 लाख रूपये का प्रावधान है। इन्हें कहाँ पुनर्स्थापित किया जायेगा? इस पर विस्तृत रूप से प्रकाश डाला जाये। हिमाचल प्रदेश मंत्रीमण्डल की 9 सितम्बर 2011 की बैठक के अनुसार एल0ए0डी0एफ0 के अन्तर्गत 1 प्रतिशत राशी प्रभावित परिवारों को नकद दी जायेगी। क्या यह निर्णय इस परियोजना पर भी लागू है? NRRP-2007 के अध्याय–5 के पैरा 5.1 में एक समिति के गठन का विवरण है एवं पैरा 5.3 में उल्लेखित प्रशासक कौन होगा एवं यह भी बताया जाये कि क्या हमार जन प्रतिनिधि यानि प्रधान ग्राम पंचायत उस समिति का सदस्य होगा? मिनी मनाली क्षेत्र की ओर विशेष ध्यान दिया जाये ताकि पर्यटन पर कोई दुष्प्रभाव न पड़े। जनता सर्वोपरि है।	पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन के बारे में उत्तर क्रम संख्या 2 में दिया जा चुका है। हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा पारित सभी नीतियां इस परियोजना पर लागू हैं। क्योंकि इस परियोजना से विस्थापित होने वाले परिवारों की संख्या 200 से कम है अतः माननीय जिलाधीश लाहौल एवं स्पिति स्वतः ही इस समिति के प्रशासक होंगे। पर्यटन के विकास के लिए कम्पनी पहले से ही जागरूक है वन विभाग द्वारा अभी पेड़ों की गणना की जानी शेष है। अतः कम्पनी का प्रयास होगा की इस क्षेत्र में कम से कम पेड़ काटे जायें।
6	**श्री जयराम, ग्राम पंचायत त्रिलोकनाथ, उप तहसील उदयपुर, जिला लाहौल स्पिति**	परियोजना द्वारा किया गया आर्थिक व सामाजिक सर्वेक्षण तथ्यों के आधार पर नहीं है। परियोजना के लिए 25 हे0 निजि भूमि का अधिग्रहण होना प्रस्तावित है कानून के अनुसार शेड्यूल–5 में अंकित जन जातीय क्षेत्रों में भूमि अधिग्रहित नहीं की जा सकती। कम्पनी प्रबन्धन द्वारा परियोजना के परिचय के दौरान बताया गया कि बांध की ऊँचाई 80 मीटर है जबकि इस रिपोर्ट में बांध की ऊँचाई 123 मीटर दर्शाई गयी है। इस क्षेत्र में सर्दियों में ग्लेशियर नदी के पानी को रोक लेते हैं इस प्रकार बांध बनने से जलाश्य के कारण सर्दियों में ग्लेशियर आने से रतौली, कोराकी व उदयपुर क्षेत्र सुरक्षित नहीं रहेगें। इस प्रकार की एक घटना अखनूर में पहले भी हो चुकी है। रिपोर्ट में लिखा है की इस नदी में कोई भी मछली नहीं पायी जाती है यह गलत है क्योंकि हम मछलियाँ पकड़ कर बता सकते हैं। कुकमसेरी नामक स्थान पर हम मछलियाँ पकड़ते रहे है। इसलिए झूठे तथ्य रिपोर्ट में दर्शाये गये हैं। यह क्षेत्र जोन–5 में आता है यदि इस क्षेत्र में रिक्टर–6 पैमाने का भूकम्प आये तो	कम्पनी प्रबन्धन ने सपष्ट किया कि आर्थिक व सामाजिक सर्वेक्षण पूर्णतः तथ्यों पर आधारित है। परियोजना के लिए प्रस्तावित भूमि का अधिग्रहण भू–अर्जन अधिनियम 1894 के अन्तर्गत किया जायेगा। नदी के धरातल से बांध की ऊँचाई 80 मीटर है परन्तु बांध के गहनतम आधार स्तर से ऊँचाई 123 मीटर है। हिमाचल प्रदेश सरकार ने इस परियोजना का अध्ययन करने के उपरांत ही इसको विज्ञापित किया। चिनाब नदी के अध्ययन के दौरान इस क्षेत्र में कोई भी मछली नहीं पाई गयी, फिर भी पर्यावरणीय प्रबन्धन योजना में इस क्षेत्र में मतस्यपालन को प्रोत्साहित करने के लिए प्रावधान किया गया है। परियोजना के विभिन्न घटकों

Sub. Divisional Magistrate
Udaipur, Distt. Lahaul-Spiti (H.P.)

		क्या यह परियोजना सुरक्षित रह पायेगी? सलपट पुल के पास से कम्पनी रेत, व बजरी उठायेगी परन्तु स्थानीय लोग यदि यहॉ से रेत बजरी इत्यादि अपने घर के निर्माण के लिए उठाते है तो प्रशासन द्वारा उसका चालान किया जाता है। माननीय उच्च न्यायालय के आदेशानुसार यहॉ पर रेत बजरी निकालना मना है। बांध, सुरंगों के निर्माण के दौरान विस्फोट से कम्पन तरंगें उत्पन्न होंगीं जिससे लोगों को परेशानी होगी। कम्पनी इस सभी के बारे में स्पष्टिकरण दे। हम इससे बर्बाद हो जायेंगे। यहॉ के स्थानीय लोगों को कम्पनी में छोटी मोटी नौकरियॉ ही मिलेंगी, नौकरी के लिए बनाये गये 70 प्रतिशत नियम की पूर्ण अवहेलना होगी। कितने स्थानीय लोगों को नौकरी मिलेगी, यह सोचने का विषय है। अभी तक कम्पनी ने कितने लोगों को रोजगार दिया है? कम से कम स्थानीय लोग स्टोर कीपर तो रखे जा सकते थे। उपरोक्त को मध्य नजर रखते हुये मैं इस प्रस्तावित परियोजना का विरोध करता हूँ।	का अभिकल्प इस क्षेत्र के भूकम्प की दृष्टि से जोन–5 में होने को मध्य नजर रखते हुये ही तैयार किया गया है। क्योंकि यह परियोजना सरकार द्वारा कम्पनी को आबंटित की गयी है, इसलिए इस परियोजना के निर्माण के लिए आवश्यक निर्माण सामग्री भी इसी क्षेत्र से ली जायेगी। फिर भी आवश्यक निर्माण सामग्री का दोहन स्थानीय क्षेत्र से सरकारी नियमों के अनुसार किया जायेगा। आधुनिकतम तकनीकों का उपयोग कर नियंत्रित विस्फोट कर बांध व सुरंग इत्यादि का निर्माण करेंगे। योग्यता के आधार पर नौकरियॉ दी जायेंगी और 70 प्रतिशत रोजगार हिमाचल वासियों को ही दिया जायेगा। अभी तक परियोजना का कोई भी निर्माण कार्य शुरू नहीं हुआ है फिर भी इस क्षेत्र के 8 लोगों को योग्यता के आधार पर रोजगार दिया जा चुका है।
7	**श्री तोग चन्द ठाकुर, (राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता) गांव सलग्रां, ग्राम पंचायत तिन्दी, उप तहसील उदयपुर, जिला लाहौल स्पिति।**	मैंने पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में अहम भूमिका निभाई है, जिसके अन्तर्गत मुझे विभिन्न पुरस्कार प्राप्त हुये हैं। अभी कुछ दिन पहले ही मुझे माननीय मुख्य मंत्री हिमाचल प्रदेश सरकार ने भी इस क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए पुरस्कृत किया है। चिनाब नदी पर प्रस्तावित जल विद्युत परियोजनाओं जैसे कि छतड़ू, जिस्पा, तान्दी, गोंन्दला, वर्दांग इत्यादि के निर्माण से लाहौल घाटी के पर्यावरण को खतरा होगा। पेड़ों के कटने से पर्यावरण प्रदूषित होगा एवं दुर्लभ वन्य जीव जैसे कि भालू, जंगली बकरा, चीता इत्यादि विलुप्त होने की आशंका है। इसलिए इसकी भरपाई के लिए	परियोजना के निर्माण से होने वाले दुष्प्रभावों से निपटने के लिए पर्यावार्णीय प्रबन्धन योजना में समुचित प्रावधान किये गये हैं। परियोजना से प्रभावित होने वाले पेड़ों की गणना वन विभाग द्वारा करना शेष है।

Sub. Divisional Magistrate
Udaipur, Distt.Lahaul-Spiti (H.P.)

	Sub. Divisional Magistrate Udaipur, Distt. Lahaul-Spiti (H.P.) 19/11/11	अधिक से अधिक वृक्षारोपण करने की आवश्कता है, क्या कम्पनी इस पर्यावरण को बचाने के लिए पौधरोपण करेगी? यदि करेगी तो कितना करेगी और कितनी भूमि पर करेगी? क्या यह पौधरोपण स्थानीय महिला मण्डलों एवं युवक मण्डलों के माध्यम से करवाया जायेगा? क्या कम्पनी स्थानीय लोगों को मुफ्त बिजली देगी? क्या कम्पनी स्थानीय लोगों की गाड़ियों को परियोजना में काम पर लगायेगी, यदि हॉ तो कितने समय के लिये लगायेगी और कितना भाड़ा देगी? क्या कम्पनी स्थानीय ठेकेदारों को कार्य प्रदान करेगी? वह कार्य क्या–क्या होंगे? नकदी फसलों का नुकसानहोने पर कम्पनी कितना मुआवज़ा देगी? यदि कोई बीमार होता है तो कम्पनी उसके लिए क्या करेगी? मैं पर्यावरण से जुड़ा हुआ व्यक्ति हूँ मैं परियोजना का विरोध नहीं करता हूँ, परियोजना तो लगनी चाहिये लेकिन पर्यावरण का नुकसानकम से कम होना चाहिये।	परियोजना के लिए प्रत्यावर्तित होने वाली वन भूमि 295 हे0. की एवज में वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अन्तर्गत दोगुणा वन भूमि पर प्रतिपूरक वृक्षारोपण वन विभाग के माध्यम से किया जायेगा। इसके अलावा कैचमेन्ट एरिया ट्रीटमेन्ट प्लान के अन्तर्गत मृदा संरक्षण के लिए पोधारोपण किया जोयेगा। राज्य सरकार ही यह तय कर सकती है कि पोधारोपण स्थानीय युवक मण्डलों व महिला मण्डलों के माध्यम से करवाया जा सकता है या नहीं। कम्पनी स्थानीय लोगों को मुफ्त बिजली नहीं दे सकती है। कम्पनी स्थानीय लोगों की गाड़ियों को निर्माण काल के दौरान आवश्कतानुसार काम देने में प्राथमिकता देगी। कम्पनी आवश्यकतानुसार गाड़ीयों के लिये स्थानीय प्रशासन एवं ग्राम पंचायतों के माध्यम से स्थानीय लोगों से निविदायें मंगवायेगी तथा इन निविदाओं के आधार पर ही गाड़ियॉ परियोजना के कार्य में लगायेगी। कम्पनी आवश्यकतानुसार स्थानीय ठेकेदारों को योग्यता के आधार पर परियोजना के निर्माण काल के दौरान कार्य आबंटित करेगी। कम्पनी ने आश्वासन दिया कि परियोजना का निर्माण कार्य शुरू करने से पहले स्थानीय प्रशासन के माध्यम से प्रभावित क्षेत्र में उद्यान एवं कृषि विभाग के विशेषज्ञों से सर्वेक्षण कर फसलों के आधारभूत आंकड़े इकट्ठे कर लिये जायेंगे ताकि परियोजना निर्माण कार्य के दौरान या

			उपरान्त प्रभावित क्षेत्र में किसी व्यक्ति की फसल को परियोजना कार्य से नुकसानहोना सत्यापित होता है तो राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मांपदंण्डों के अनुसार मुआवजे की भर पाई की जा सके। यदि किसी व्यक्ति या मवेशी का परियोजना कार्य के कारण बीमार होना सत्यापित होता है तो ऐसे व्यक्ति या मवेशी के इलाज का खर्चा कम्पनी वहन करेगी।
8	**श्री सुशील कुमार, गांव केलांग, जिला लाहौल स्पिति।**	1. क्या यह परियोजना CDM के अन्तर्गत आती है?	CDM, Kyoto Protocol के अनुच्छेद 12 में एक ऐसी व्यस्था है, जिसके फलस्वरूप विकसित देश, उर्त्सजन सीमा प्रतिबधता के लिये Annexure-B Party (विकासशील देशों) में उर्त्सजन में कमी लाने वाली परियोजनाओं का कार्यान्वन करती है। CDM की प्रक्रिया शुरू की जा चुकी है।

जन सुनवाई के समापन पूर्व समस्त कार्यवाही के सार को उपस्थित लोगों के समक्ष हिन्दी में पढ़कर सुनवाया गया। तत्पश्चात् इसका विवरण रिकार्ड किया गया। अंत में जन सुनवाई के समापन के दौरान अध्यक्ष महोदय ने कहा कि उन्हें आशा है कि परियोजना का कार्य प्रशंसनीय रहेगा और यह परियोजना पर्यावरण संरक्षण के साथ–साथ इस क्षेत्र के चहुमुखी विकास में अपना अमूल्य सहयोग देती रहेगी।

प्रमाणित किया जाता है कि इस पर्यावरण जन सुनवाई के दौरान अपनाई गई प्रक्रिया समुचित रही।

उप मण्डलाधिकारी (ना0) 10/11/11
उदयपुर, जिला लाहौल स्पिति
(हिमाचल प्रदेश)

Sub. Divisional Magistrate
Udaipur, Distt. Lahaul & Spiti (H.P.)

Proceedings of Public Hearing of M/s Seli Hydro Electric Power Co. Ltd. have been conducted and Chaired by Sub Divisional Magistrate Udaipur. It is pertinent to mention that in Lahual & Spiti District there is no post of ADM/ADC and all functions of AC to DC, ADM/ADC are being looked into by the SDMs of the District.

19/11/17

Deputy Commissioner
Lahaul & Spiti
Himachal Pradesh

Dy. Commissioner
Distt. Lahaul & Spiti
Keylong (H. P.)